बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
::आदेश::

पटना, दिनांक 13/03/2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–508/2025–1029/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०– 2298/2024 अनुप कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 27.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. CWJC No 2298/2024 अनुप कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–27.11.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

".......8. The absence of arbitrary power is the first essence of rule of law. Discrimination in any form, if it does not stand to the test of Article 14 of the Constitution of India, the same is held to be illegal and any action or order is fit to be set aside. In view thereof, this Court finds substance in the writ petition. Accordingly, the impugned order dated 08.11.2023 contained in Memo No. 1982 stands set aside to the extent sweeping observation has been made causing prejudice to the claim of the petitioners. The matter is relegated to the respondent No. 2 to examine the claim of the petitioners afresh on filing of fresh representation alongwith the present order in the light of the decision rendered in the case of the Abdus Samad (supra) and further the identical matters which have been disposed of by this Court, the copies of which have also been placed on record.

9. With the aforesaid directions, the present application stands disposed of.

10. It is expected that the Director, Primary Education shall take a fresh decision in the matter, preferably within a period of 10 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order......"

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता श्री अनुप कुमार एवं अन्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए दिनांक 02.02.2026 तथा 16.02.2026 को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई निर्धारित की गयी। निर्धारित सुनवाई में वादीगण की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता, श्री जय प्रकाश वर्मा तथा वी0सी0 के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गया उपस्थित हुए।

4. याचिकाकर्त्ताओं का कथन है कि उन्हें मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिनांक–01.10.2003 से समरूप शिक्षक नियमावली, 1991 के आधार पर दिए गए अन्य शिक्षकों की भाँति उन्हें भी दिनांक–01.10.2003 से उच्च योग्यता के आधार पर मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाय।

5. वस्तुस्थिति यह है कि याचिकाकर्त्ता श्री अनुप कुमार की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर जिला शिक्षा अधीक्षक, गया के ज्ञापांक–552 दिनांक–24.01.2002 द्वारा की गई। जिला शिक्षा अधीक्षक, गया द्वारा सशर्त्त नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए उक्त नियुक्ति पत्र में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आदेशित था कि नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षणोंपरांत ही वेतन वृद्धि देय होगा।

6. उल्लेखनीय है कि नियुक्ति पत्र निर्गत तिथि के समय बिहार प्रारंभिक विद्यालय (संशोधन) नियुक्ति नियमावली 1993 प्रस्तावित था, जिसकी कण्डिका 11(2) में वर्णित है कि "जो

उम्मीदवार अप्रशिक्षित हैं, उन्हें मैट्रिक अप्रशिक्षित वेतनमान के प्रारंभिक वेतनमान में निम्न शर्त्तों के साथ नियुक्त किया जाएगा:—

I- प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने पर उसमें पर्याप्त कारण के आधार पर भाग न लेने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

II- प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा ली जाएगी। उसमें उम्मीदवार यदि सफल नहीं होता है तो उसे एक मौका और दिया जायेगा। यदि दूसरी बार भी वह अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

III- प्रशिक्षण की अवधि में समय–समय पर निर्धारित दर पर वृत्तिका मात्र देय होगी। प्रशिक्षण अवधि के लिए वेतन देय नहीं होगा।

IV- कंडिका 'ख' में निर्दिष्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा।

7. उपरोक्त वर्णित प्रावधान में किसी निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण करा लेने के अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक के पद पर नियुक्ति ससमय पदस्थापित नियम के अधीन ही किया जाना विधिक रूप से मान्य है।

8. वादी द्वारा उक्त वाद नियुक्ति तिथि से 03 वर्ष पूरा होने पर प्रशिक्षित वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु दायर किया गया है जबकि स्थिति यह है कि श्री अनुप कुमार द्वारा एक वर्षीय प्रशिक्षण वर्ष 2007 में प्राप्त करने के कारण दिनांक–04.02.2008 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है।

9. पूर्व में अप्रशिक्षित उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान देने के संबंध में SLP No–23187 / 1996 की आदेश तिथि 05.09.1997 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–07 / वे0–14 / 2007–12 दिनांक–05.01.2015 निर्गत है जिसका कण्डिका 04 निम्नवत् है:–

I- बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत दिनांक–05.09.1997 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–23187 / 1996 में दिनांक–05.09.1997 को पारित आदेश) के पूर्व नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित (अनुकम्पा सहित) शिक्षक जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुये उन्हें दिनांक–05.09.1999 से दिनांक–30.09.2003 तक मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान वैचारिक देते हुए दिनांक–01.10.2003 से वित्तीय लाभ दिया जाय।

II- बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत दिनांक–05.09.1997 के उपरांत नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित (अनुकम्पा सहित) शिक्षक जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए, उन्हें भी दिनांक–01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

III- बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित (अनुकम्पा सहित) शिक्षक जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण नहीं हुए अथवा वैसे शिक्षक जो शिक्षक प्रशिक्षण 2004 में सम्मिलित नहीं हुए और वर्ष 2007 में

आहुत शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण हुए, उन्हें प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित हाने की तिथि (दिनांक–31.07.2007) से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

10. उपरोक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि पूर्व मे अप्रशिक्षित उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को प्रशिक्षत वेतनमान प्राप्त करने हेतु मौका प्रदान किया जा चुका है। पुनः इस आशय पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में वादी के कथन को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा मामले को सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–16424/2019, 17552/2019 एवं 7322/2017 में पारित न्यायादेश के आलोक में जो लाभ याचिकाकर्त्ता को मिला है, वही लाभ प्रस्तुत मामला के याचिकाकर्त्ता श्री अनुप कुमार एवं अन्य को दिया जाय।

12. अंकनीय है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–7322/2017 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–1982 दिनांक– 08.11.2023 की कंडिका–11 एवं 12 में उल्लेखित है कि:–

"..........बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 एवं बिहार प्रारंभिक विद्यालय (संशोधन) नियुक्ति नियमावली 1993 में प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने हेतु अवधि निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि दिशा–निर्देश जारी किया गया है। प्रश्नगत मामले में मो० अब्दुस समद के नियुक्ति पत्र में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित किये गए शर्त एवं विभागीय संकल्प संख्या–12 दिनांक 05.10.2015 द्वारा दिये गए निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

13. अतएव उपरोक्त स्थिति में मो० अब्दुस समद एवं अन्य कतिपय समरुप मामलें में पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है, उसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु मो० अब्दूस समद का दृष्टांत देते हुए सदृश्य मामलों में अन्य याचिकाकर्ता का दावा अस्वीकृत किया जाता है।......"

14. वादी श्री अनुप कुमार द्वारा समर्पित नियुक्ति पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, गया द्वारा सशर्त्त नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए उक्त नियुक्ति पत्र नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेना है। प्रशिक्षणोंपरांत ही वेतन वृद्धि देय होगा।

अतएव उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–508/2025–1029   पटना, दिनांक 13/03/2026

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. Anup Kumar S/o Sri Gajendra Mohan Prasad R/o Mohalla-Janakpur, P.S. Muffasil, District-Gaya. At present posted as Headmaster in Middle School Mandai, Khizer Sarai, Gaya.

2. Jitendra Narayan Singh S/o Late Balkeshwar Singh R/o Village-Manjaithi, P.O. Bandya, P.S. Goh, District-Aurangaband. At present posted as an Assistant Teacher in Middle School Ghughari Tand, Nagar Nigam South Gaya, Distt-Gaya.

3. Chandramani Kumar S/o Late Mahendra Prasad Singh R/o Village- Jamuawan, P.S.- Mahkar, District-Gaya. A/p posted as Headmaster, Middle School, Hasanpur, Khizer Sarai, Distt-Gaya.

4. Shahid Akhtar S/o Late Fariduddin Ansari R/o Mohalla- Jagdispur, P.S.- Muffasil, Distt-Gaya. A/p posted as Trained Graduate Teacher in Middle School, Chiraila, Manpur, Distt- Gaya.

5. Manoj Kumar S/o Late Ram Padarath Singh R/o Mohalla-Moriyaghat, Maksudpur House Compound, P.S. Kotwali, District-Gaya. At present posted as B.A. Trained Teacher in Mahavir Middle School, Gaya, Nagar Nigam North Gaya, Distt-Gaya.

6. Francis Samuel S/o Daniel Samuel R/o Mohalla-Rajendra Hostel, Christian Colony, P.S. Rampur, District- Gaya. At present posted as Headmaster in Middle School Salepura, Block- Gurua, District- Gaya.

7. Mohammad Nasimuddin S/o Late Abdul Mannan R/o Village- Bathani, P.S.- Neemchak Bathani, District- Gaya. At present posted as Headmaster in Middle School, Bandi, Block- Neemachak, Gaya.

8. Pankaj Kumar S/o Late Kamal Prasad Singh Resident of Mohalla-Jheelganj, Pipargali, P.S.- Kotwali, District- Gaya, A/p posted as a Headmaster in Middle School Sahbajpur, Block- Khizer Saray, Gaya. को सूचनार्थ कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–508 / 2025–1029 पटना, दिनांक 13/03/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।